भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3232

08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एनपीएचएस के साथ आयुष का एकीकरण

3232. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव:
श्री वी. पी. चौधरी:
श्री विनोद लखमशी चावड़ा
श्रीमती विजयलक्ष्मी देवीः
श्रीमती कमलेश जांगड़ेः
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः
श्री रमेश अवस्थी:
श्री विजय बघेलः
श्री योगेन्द्र चांदोलियाः
सुश्री कंगना रनौतः
श्री मनोज तिवारीः
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री आलोक शर्माः
श्री खगेन मुर्मुः
श्री जनार्दन मिश्राः

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली (एनपीएचएस) में आयुष के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला अस्पतालों में सह-स्थिति सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार, विशेषकर मध्य प्रदेश में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों, विशेषकर राजस्थान में स्थापित समेकित चिकित्सा विभागों का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार, विशेषकर राजस्थान के पाली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश तथा ओडिशा के कटक जिले में कुल कितने स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्र हैं जहां आयुष सेवाएं सह-स्थित हैं;

(घ) विशेष रूप से ओडिशा के कटक में आरंभ से संस्थागत आयुष एकीकरण के लिए आवंटित की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार का विचार घनी आबादी और वर्तमान अवसंरचना की कमी के मद्देनजर पूर्वोतर दिल्ली में अतिरिक्त आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्र तथा एक एकीकृत चिकित्सा इकाई स्थापित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): भारत सरकार ने ओडिशा सहित देश भर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना की नीति अपनाई है, जिससे रोगियों को एक ही स्थान पर विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का विकल्प चुनने में मदद मिलती है। आयुष डॉक्टरों/पैरामेडिक्स की नियुक्ति और उनके प्रशिक्षण को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है, जबकि आयुष अवसंरचना, उपकरण/फर्नीचर और दवाओं के लिए सहायता राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के अंतर्गत आयुष मंत्रालय द्वारा साझा जिम्मेदारियों के रूप में प्रदान की जा रही है। मध्य प्रदेश सहित देश भर में आयुष सह-स्थापित सुविधाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति **संलग्नक-I** पर दी गई है।

(ख): आयुष मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने संयुक्त रूप से विभिन्न एम्स में आयुष-आईसीएमआर उन्नत एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र (एआई-एसीआईएचआर) स्थापित करने की पहल की है ताकि एकीकृत स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करते हुए चिन्हित क्षेत्रों पर अनुसंधान किया जा सके। इस पहल के तहत, राजस्थान में जोधपुर एम्स को वृद्धावस्था स्वास्थ्य में एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान के उन्नत केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

(ग): एनएएम के अंतर्गत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से उनके राज्य के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के तहत, मौजूदा आयुष औषधालयों और उप स्वास्थ्य केंद्रों की 12500 इकाइयों को आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के रूप में उन्नत किया गया है [जिसे अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) (आयुष) नाम दिया गया है] ताकि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ किया जा सके और विभिन्न आयुष उपचारों के माध्यम से देश में एक समग्र स्वास्थ्य सेवा मॉडल के रूप में स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का समाधान किया जा सके और इन एएएम (आयुष) को आवश्यकतानुसार लाभार्थियों को आयुष स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों के साथ भी जोड़ा गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सभी आयुष (एएएम) केंद्र कार्यशील हैं। स्वीकृत आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान के पाली जिले में 77 आयुष (एएएम), हिमाचल प्रदेश में आयुष (एएएम) केंद्र की 761 इकाइयाँ और ओडिशा के कटक जिले में आयुष (एएएम) केंद्र की 17 इकाइयाँ हैं। इसके अतिरिक्त, स्वीकृत आयुष (एएएम) केंद्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति **संलग्नक-II** पर दी गई है।

(घ): ओडिशा राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ओडिशा के कटक में राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की शुरुआत के बाद से पीएचसी/सीएचसी/डीएच के सह-स्थापन के संबंध में विशेष रूप से संस्थागत आयुष एकीकरण के लिए 90.66 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।

(ङ): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, घनी आबादी और मौजूदा बुनियादी ढाँचे की कमी को देखते हुए, उत्तर-पूर्वी दिल्ली में अतिरिक्त आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों या एकीकृत चिकित्सा इकाइयों की स्थापना संबंधित राज्य संघ क्षेत्र की सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। हालाँकि, राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों/जिला स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष इकाइयों की सह-स्थापना के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। तदनुसार, राज्य संघ क्षेत्र की सरकार राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) दिशानिर्देशों के मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत एसएएपी के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करके वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती है।

संलग्नक-I

31 दिसंबर 2024 को आयुष सह-स्थापित सुविधाओं का डेटा					
क्र.सं.	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम**	**डीएच**	**सीएचसी**	**पीएचसी**	**कुल**
1	बिहार	36	0	0	36
2	छत्तीसगढ़	18	98	454	570
3	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
4	जम्मू-कश्मीर	13	14	373	400
5	झारखंड	21	188	97	306
6	**मध्य प्रदेश**	**36**	**95**	**275**	**406**
7	ओडिशा	0	351	886	1237
8	राजस्थान	0	51	144	195
9	उत्तर प्रदेश	102	666	627	1395
10	उत्तराखंड	13	53	44	110
11	अरुणाचल प्रदेश	16	34	50	100
12	असम	18	7	71	96
13	मणिपुर	7	17	78	102
14	मेघालय	11	25	54	90
15	मिजोरम	12	9	10	31
16	नागालैंड	9	20	9	38
17	सिक्किम	4	1	4	9
18	त्रिपुरा	3	21	84	108
19	आंध्र प्रदेश	9	105	273	387
20	गोवा	2	6	22	30
21	गुजरात	0	0	868	868
22	हरियाणा	22	102	106	230
23	कर्नाटक	15	86	366	467
24	केरल	0	0	0	0
25	महाराष्ट्र	23	238	20	281
26	पंजाब	22	66	88	176
27	तमिलनाडु	37	388	475	900
28	तेलंगाना	0	42	352	394
29	पश्चिम बंगाल	13	295	387	695
30	अंडमान और निकोबार द्वीप	3	4	20	27
31	चंडीगढ़	1	2	28	31
32	दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव	2	4	9	15
33	दिल्ली	0	0	0	0
34	लद्दाख	2	7	32	41
35	लक्षद्वीप	2	3	4	9
36	पुडुचेरी	4	4	39	47
कुल		**476**	**3002**	**6349**	**9827**

संलग्नक-II

अनुमोदित और कार्यशील आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (एएचडब्ल्यूसी) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

क्र.स.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	स्वीकृत एएचडब्ल्यूसी
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	6
2	आंध्र प्रदेश	126
3	अरुणाचल प्रदेश	89
4	असम	500
5	बिहार	294
6	चंडीगढ़	12
7	छतीसगढ़	400
8	दिल्ली	0
9	दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव	1
10	गोवा	100
11	गुजरात	365
12	हरियाणा	538
13	**हिमाचल प्रदेश**	**761**
14	जम्मू-कश्मीर	523
15	झारखंड	745
16	कर्नाटक	376
17	केरल	700
18	लद्दाख	0
19	लक्षद्वीप	7
20	मध्य प्रदेश	800
21	महाराष्ट्र	390
22	मणिपुर	15
23	मेघालय	24
24	मिजोरम	41
25	नागालैंड	49
26	ओडिशा	422
27	पुडुचेरी	4
28	पंजाब	158
29	राजस्थान	2019
30	सिक्किम	18
31	तमिलनाडु	650
32	तेलंगाना	421
33	त्रिपुरा	72
34	उत्तर प्रदेश	1034
35	उत्तराखंड	300
36	पश्चिम बंगाल	540
कुल		**12500**